Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

33-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021 (PHALGUNA 12, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2021

No. 03-HLA of 2021/8/4534.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 03- HLA of 2021

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2021. Short title.

2. For sub-section (1) of section 67 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 31st May, 1994, namely:- Amendment of section 67 of Haryana Act 16 of 1994.

"(1) The Government may, by notification constitute, in the prescribed manner, all or any of the categories of Corporation services and notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, once a category of Corporation services has been constituted, all employees of category, who are in service on the date of such constitution or who shall come into the service on any subsequent date, shall constitute one-single joint cadre of that category of Corporation services:

Provided that the Government shall appoint a Corporation Secretary for performing the duties assigned to him under this Act for every Corporation.".

3. In section 87 of the principal Act,- Amendment of section 87 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) a property tax payable by the owner or occupier of a building or land in the municipal area, calculated depending upon the area in which the building or land is

situated, its location, purpose for which it is used, its capacity for profitable use, quality of construction and other relevant factors, method of calculation and the rates for application be such, as the Government shall, by notification in the Official Gazette specify. The rates of tax may be different for different types of properties like residential, non-residential or commercial, industrial, institutional etc. and may be at flat rate or at a graded scale; and in all cases, those shall be the floor rates and the Corporation may increase the rates prospectively at any time by following the due procedure as specified by the Government.

Explanation.—For the purposes of this clause, the words "floor rate" means the minimum rate as specified in the notification to be issued under the said clause;";

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Save as provided in clause (a) of sub-section (1), the taxes as specified in sub-section (1) and sub-section (2) shall be levied at such rates, as may from time to time be specified by the Government, by notification and shall be assessed and collected in accordance with the provisions of this Act and the bye-laws made thereunder.".

Insertion of sections 87D and 87E in Haryana Act 16 of 1994.

4. After section 87C of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"87D. Levy of penalty on unlawful building.- (1) Whoever unlawfully constructs or reconstructs any building or part of a building,-

(a) on his land without obtaining permission under this Act or any other law for the time being in force or any rules or bye laws made thereunder or in contravention of any condition attached to such permission; or

(b) on a site belonging to him which is formed without approval under the relevant applicable law, including rules framed/instructions issued thereunder; or

(c) on any land belonging to, or leased by the Corporation, the Central Government or Government, or any statutory Board/corporation or organization or company set up by any such Government, in breach of any provisions of this Act or of any other law for the time being in force and the rules and bye-laws made there-under,

shall be liable to pay every year a penalty, which shall be equal to twice the amount of property tax leviable on such building, so long as it remains unlawful construction without prejudice to any proceedings which may be instituted against him in respect of such unlawful construction and the penalty paid under sub-section (1), shall be determined as collected under the provisions of this Act, as if the amount thereof were a property tax due against any such person:

Provided that none of such levy and collection of tax and penalty shall be construed as having regularised such unlawful construction or reconstruction for any period whatsoever of its such unlawful existence.

87E. Levy of penalty on unlawful use of a building or land.- (1) Whoever puts a building or land or a part thereof to any use either in contravention of any law for the time being in force regulating or controlling the use of such building or land or part thereof or in violation of an order or direction, if any, issued under such law, shall be liable to pay a penalty, which shall be equal to two times the amount of property tax that is leviable on such building or land or part thereof, as the case may be, under sub-section (1) of section 87 of this Act for the whole period of such unlawful use on annual basis, calculated construing part of a year as full year and the penalty paid under this sub-section shall be determined as collected under the provisions of this Act, as if the amount thereof were a property tax due against any such person.

(2) The penalty imposed or paid under sub-section (1) shall be without prejudice to any proceedings which may be instituted against the user in respect of such unlawful use and shall not clothe him with any right to raise the plea of regularisation of such unlawful use; and shall not be offset against any composition that may be lawfully accepted from him.".

Amendment of section 89 of Haryana Act 16 of 1994.

5. In clause (a) of section 89 of the principal Act, for the words "annual value" the word "value" shall be substituted.

6. After section 96 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely: – Insertion of sections 96A and 96B in Haryana Act 16 of 1994.

"96A. Issue of no dues certificate for registration of certain documents.- A document in respect of sale, transfer, lease, gift or alienation, in any manner, of any lands or buildings, situated in a municipal area, which is required to be registered under section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), shall not be registered unless the said document is accompanied with a no dues certificate issued by the Commissioner which shall remain valid for a period of three months or for such other time period, as may be specified by the Government, from time to time, certifying that all municipal dues including rents, taxes, cesses, charges, fees, fines and penalties in respect of such lands and/or buildings as mentioned in the document, payable or recoverable under this Act or the rules, bye-laws or regulations made thereunder, have been fully paid:

Provided that the Government may by order, exempt, wholly or partly, such lands and buildings, which have fallen for the first time or have fallen afresh in the municipal area as a result of a notification issued under section 3 of the Act, from the requirements of this section, for such duration, as the Government may deem fit.

96B. Issue of no objection certificate for sanction/release of electricity, water and sewerage connection.- Any person before making application to concerned authority for sanction/release of electricity, water and sewerage connection to any premises, shall obtain a no dues certificate from concerned municipal corporation and no authority shall sanction/release such connection unless no dues certificate is accompanied with the application.

Explanation.—For the purposes of this section, the term 'sanction/release' shall include restoration of disconnection or increase in capacity/load, etc.".

7. For section 122 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 122 of Haryana Act 16 of 1994.

"122. Control and regulation of advertisement in public spaces. – (1) The Commissioner, or such other authority as specified by the Government, shall control and regulate all advertisements displayed in public spaces and means of transport in the municipal area. They shall for this purpose, identify the suitable spots and sites for displaying advertisement in the municipal area and may, as part of this exercise, invite, by wide publicity, applications from the interested persons for letting out public visual landscape of their premises or vehicles for display of advertisements. The Commissioner or an authority as specified by the Government shall decide all such applications made to him by finalising the identification of spots, sites and vehicles after taking into consideration such relevant factors, which are either specified by the Government or directed in terms of any order of the court of law exercising such jurisdiction or specified under any policy of the Government.

(2) Any person, desirous of putting up an advertisement at a spot, site or vehicle, identified under sub-section (1), shall make an application in such manner, as may be specified by the Government, to the Commissioner or to the authority for permission, who shall dispose of the same by taking into consideration all the relevant factors, within a reasonable time and may, while doing so, impose such other restrictions and conditions as befits the facts and circumstances of each case. No application shall, in any circumstances, be entertained for putting up an advertisement at a spot, site or vehicle different from those which have been identified under sub-section (1).

(3) The Commissioner or the authority, as specified by the Government, shall, before giving such a permission for putting up an advertisement under sub-section (2), shall enter into a rent sharing arrangement with the owner/occupier of the identified premises or owner/user of the identified vehicle (other than the building, land or vehicle belonging to the Municipal Corporation) where the advertisement is to be put up; and shall, at the time of giving permission, charge a permission fee from the applicant advertiser at the rates as determined by an authority appointed by the Government for this purpose and different authorities may be appointed for different Corporations or regions of the State.

(4) The Government may lay down guidelines/policy for the identification of sites, spots and vehicles, the processing of applications made for giving permission for putting up the advertisements, the rent sharing arrangements and other relevant matters, as it deems fit.

(5) No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, hoarding, frame, post or structure or upon any vehicle or shall be displayed in any manner whatsoever in any place within the municipal area without the written permission of the Commissioner or the authority as specified by the Government, as the case may be.

Explanation.- For the purposes of this section, "a public space" means a place that is generally open and accessible to people and includes-

(i) roads, flyovers, pavement, sidewalks, streets, public squares, parks, gardens, water bodies, lakes, river fronts, green belts along the roads;

(ii) government buildings which are open to the public, such as public libraries, museums, monuments, zoos, aquariums, open air theatres, sports grounds, stadiums;

(iii) railway stations, metro railway stations, bus stands, taxi stands, rickshaw stands, bus queue shelters, street furniture, parking places;

(iv) all other lands, buildings and structures, whether in government hands or private, that are visible from sidewalks, public thoroughfares and other public places in so far as they affect the public visual landscape.".

Amendment of section 132 of Haryana Act 16 of 1994.

8. In section 132 of the principal Act, for the words "annual value" the word "value" shall be substituted.

Amendment of section 164 of Haryana Act 16 of 1994.

9. (1) In section 164 of the principal Act,-

(i) for the existing clause (a), the following clause shall be substituted , namely: –

"(a) the Commissioner may,-

(i) dispose of by sale or otherwise, any movable property belonging to the Corporation, the depreciated value of which does not exceed five lakh rupees;

(ii) grant a lease not exceeding a period of ten years of any immovable property belonging to the Corporation; or

(iii) sell or grant a lease in perpetuity of any immovable property belonging to the Corporation, the prevailing collector rate value of which does not exceed five lakh rupees, or the annual market rent of which does not exceed fifty thousand rupees;";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) subject to other provisions of this Act, the consideration for which any immovable property may be sold, leased or otherwise transferred under the aforesaid clauses shall not be less than the value at which such immovable property could be sold, leased or otherwise transferred in normal and fair competition:

Provided that in case of transfer of immovable property to Government Department by way of sale or lease or otherwise, the property may be transferred at collector rate, subject to prior approval from the Government:

Provided further that in case of transfer of shop or house to individual, who is in possession of such property for the last twenty years or more, by way of rent or lease or otherwise, the property may be transferred at collector rate or any other concessional rate, as may be determined by the Government by way of sale, subject to prior approval of such authority, as may be specified:

Provided further that ownership rights in respect of shops or houses which are on lease or rent or license fee or tehbazari or otherwise for the last twenty years or more, may be transferred by way of sale, on such terms and conditions, including the rate at which such ownership rights shall be transferred, as specified in the policy framed in this behalf by the Government, from time to time.";

(iii) after clause (ca), the following clause shall be inserted, namely:-

"(cb) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Commissioner shall sell, lease or let out on hire or otherwise transfer any moveable or immovable property belonging to the Corporation under the following circumstances, namely:-

(i) on the directions of the Government to sell, lease or otherwise transfer any moveable or immovable property of the Corporation for such consideration, as specified by the Government;

(ii) when any policy framed by the Government requires, as a part thereof, to sell, lease or otherwise transfer any moveable or immovable property of the Corporation for consideration as specified in the said policy:

Provided that the prior sanction of Government shall be required before the Commissioner acts under clause (ii).".

Amendment of section 350-D of Haryana Act 16 of 1994.

10. In section 350-D of the principal Act,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st April, 2014, namely:-

"Provided that all powers and functions of the Director, Town and Country Planning, Haryana being performed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and the rules made thereunder as applicable to the areas within municipal limits, shall be exercised and performed by the Director. The powers of the Commissioner and Secretary to Government, Haryana Town and Country Planning Department under the above referred Act shall be exercised by the Administrative Secretary to the Government, Haryana, Urban Local Bodies Department under this Act, within the municipal limits:

Provided further that where provisions of this Act are silent regarding the provision of the controlled area, then the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) shall be deemed to be applicable *mutatis mutandis* within the municipal limit.".

Amendment of section 385 of Haryana Act 16 of 1994.

11. In clause (b) of section 385 of the principal Act, for the words "annual value" the word "value" shall be substituted.

Amendment of section 419 of Haryana Act 16 of 1994.

12. In section 419 of the principal Act,-

(i) in the existing proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 31st May, 1994, namely:-

"Provided further that on determination of their designation by the Commissioner under this section, the officers and employees shall constitute part of such categories of Corporation service as their designation, nature of work and duties befit and their services shall be governed by the provisions regulating the category of the respective service as per the notifications issued under sub-section (1) of section 67 of this Act constituting all or any of the categories of the Corporation services with effect from the date of such notifications and in case any doubt arising or claims made regarding designation, nature of work and duties that befit the services of any individual or class or categories of officer/employee, the matter shall be referred to the Government, whose decision in this regard shall be final and binding.".

Amendment of section 422 of Haryana Act 16 of 1994.

13. In sub-section (1) of section 422 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 31st May, 1994, namely:-

"(1) Subject to the provisions of section 67, when any municipality including area comprising rural area or a part thereof, if any, is declared and constituted a Corporation under sections 3 and 4 of this Act, the entire officers and employees serving in a municipality including area comprising rural area or a part thereof, if any, on a post in relation to which the Corporation is constituted, shall, on the declaration and constitution of the Corporation, be deemed to be transferred to the Corporation on the existing terms of service and integrated into the Corporation Service.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Several reasons, briefly explained below, have made it necessary to carry out amendment in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) by way of enacting Haryana Municipal Corporation (First Amendment) Act, 2021.

2. When the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 was enacted, the Faridabad Municipal Corporation was the only Municipal Corporation and the terms "employees of Faridabad Complex Administration" was included and they were made the employees of "Faridabad Corporation". Now the number of the Municipal Corporations are eleven in the State of Haryana and a need/necessity has been felt to create an integrated cadre of all the Municipal Corporations, as absence of such provisions at time create problem in optimally distributing resources in manpower across all the Corporations in the State. Therefore, there is a necessity to integrate the Cadre of all the employees of Municipal Corporations which are in existence and which are to be created in future. This objective can be achieved by way of amendments in section 67, 419 & 422 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 with retrospective effect from 31st day of May, 1994.

3. The Government of India, on the recommendations of the NITI Aayog, has made a suggestion to levy and collect Property Tax based on assessment on the value of the property. So far in Haryana, such practice is not invogue. Further, it has also been proposed by the Central Government that the rates fixed by the Government should be floor rate and the Corporations should have the liberty to levy Property Tax at rates higher than the floor rates. The section relating to the assessment and collection of Property Tax in the existing Haryana Municipal Corporation Act, 1994 does not mention it to be assessed and collect on the basis of the Capital Value or related parameters. Therefore, there is necessity to introduce such related broad parameters through enabling provision to this effect by amending section 87 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

4. There are certain buildings which are used for the purposes other than the permissible purposes in the locations where they are situated. The Property Tax on such buildings are required to be levied on the basis of "actual uses" and not on the "permissible uses" of the building as it is the actual uses which puts pressure on the civic services. Though Property Tax is in the nature of tax, having no direct nexus with proportionate services to be provided, yet in practice this tax is utilized by the municipal bodies substantially for providing civic services. Further it is also necessary to discourage such types of practices of unlawful use as they put excessive pressure on laid services resulting at times in highly deficient services as also inconvenience to the law abiding people. Accordingly there is a requirement to make a legal provision both for clarifying the nature of the levy of tax implications and providing for penal provisions by levying tax at increased rates on such properties. Therefore, to achieve the above aspects insertions of section 87D and 87E in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are to be made.

5. On certain places in the Act, the assessment was done related with "annual value". Now in the changed circumstances even this is to be brought consistent with the "actual value". To achieve the above aspect amendments in clause (a) of sub-section (1) of section 89, 132 and sub-section (b) of section 385 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are to be made.

6. To make the Registration of Property very realistic and to be regulated in a better way, provision has been made in procedure laid down by the Revenue Department. Apart from other requirements, No Due Certificate is now required to be obtained from the Municipal bodies. Such provisions do not exist in the existing law. Accordingly enabling provisions to this effect are required to be made by inserting section 96Aand 96B in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

7. With the introduction of General Sales Tax Act, advertisement tax was subsumed in the Goods and Services Tax. However, provision to regulate the advertisements displayed in a public view is required to be made for the Municipal Bodies to control and regulate such advertisements (at times cluttering of such advertisements hampers the movement of traffic also). Accordingly, amendment in section 122 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 is required to be made.

8. For the disposal of the properties of the Municipal Corporations, so far there are insufficient provisions for disposal at the rates other than the competitive rates to meet the requirements of public needs and the requirement of policies framed by the Government. The provisions of disposal of property are to be completely re-engineered by carrying out amendment in Section 164 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

9. The powers exercised by the Director and Commissioner & Secretary of Town & Country Planning Department was transferred to the Director and Administrative Secretary of the Urban Local Bodies Department on 01.04.2014. Accordingly, amendment was carried out in Section 350 D of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and the validation of the Act done prior to 01.04.2014 was made, but inadvertently the powers of Director Town & Country Planning Department and Commissioner and Secretary, Town & Country Planning Department was not specifically vested under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to the Director and

Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department. There is a necessity to specifically vest these powers in the Director and Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department respectively. Accordingly, amendment is to be carried out in Section 350 D of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 with retrospective effect from 1st day of April, 2014.

Hence this Bill.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 3rd March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 3–एच0एल0ए0

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम ।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 67 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 31 मई, 1994 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 67 का संशोधन।

''(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित रीति में, निगम सेवाओं के सभी या किन्हीं प्रवर्गों का गठन कर सकती है तथा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निगम सेवाओं के किसी प्रवर्ग के एक बार गठन होने के बाद, प्रवर्ग के सभी कर्मचारी, जो ऐसे गठन की तिथि को सेवा में हैं या जो किसी पश्चात्वर्ती तिथि को सेवा में आएंगे, तो वे निगम सेवाओं के उस प्रवर्ग के एक–एकल संयुक्त संवर्ग का गठन करेंगे:

परन्तु सरकार, प्रत्येक निगम के लिए इस अधिनियम के अधीन निगम सचिव को उसे सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करेगी।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 87 में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 87 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(क) क्षेत्र जिसमें भवन या भूमि स्थित है के आधार पर संगणित नगरपालिका क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा भुगतानयोग्य कोई सम्पत्ति कर, इसकी अवस्थिति, प्रयोजन जिसके लिए यह उपयोग किया जाता है, लाभयोग्य उपयोग के लिए इसकी क्षमता, निर्माण की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत कारक, आवेदन के लिए संगणना का ढंग तथा दर, ऐसी होगी जो सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कर की दरें, सम्पत्तियों की विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न–भिन्न हो सकती हैं, जैसे आवासीय, गैर–आवासीय या वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत इत्यादि तथा समान दरों या श्रेणीकृत पैमाने पर हो सकती है; तथा सभी मामलों में, ये फ्लोर दरें होंगी तथा निगम सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सम्यक् प्रक्रिया अपनाते हुए किसी भी समय दरों में भविष्यलक्षी प्रभाव से वृद्धि कर सकती है।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ''फ्लोर दर'' शब्दों से अभिप्राय है, उक्त खण्ड के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर;'';

(ii) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(3) उप–धारा (1) के खण्ड (क) में यथा उपबंधित के सिवाय, उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट कर, ऐसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट की जाएं तथा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार निर्धारित तथा संगृहीत किया जाएगा ।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 87ग के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 87घ तथा 87ड़ का रखा जाना।

''87घ– अवैध भवन पर शास्ति का उद्ग्रहण.– (1) जो कोई भी,–

(क) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप–विधियों के अधीन अनुमति प्राप्त किए बिना या ऐसी अनुमति से जुड़ी किसी शर्त की उल्लंघना में; अपनी भूमि पर; या

(ख) उससे सम्बंधित स्थल, जो सुसंगत लागू विधि, जिसमें इसके अधीन बनाए गए नियम/जारी किए गए अनुदेश शामिल हैं, के अधीन अनुमोदन के बिना, बनाया गया है, पर; या

(ग) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के भंग में, निगम, केन्द्रीय सरकार या सरकार, या ऐसी किसी सरकार द्वारा स्थापित किसी वैधानिक बोर्ड/निगम या संगठन या कम्पनी से सम्बंधित या द्वारा पट्टे पर दी गई किसी भूमि पर,

किसी भवन या भवन के भाग पर अवैध निर्माण या पुनर्निर्माण करता है, तो वह प्रत्येक वर्ष शास्ति, जो ऐसे भवन पर उद्गृहणीय सम्पत्ति कर की राशि के दोगुना के बराबर होगी, के भुगतान हेतु दायी होगा जब तक यह किन्हीं कार्यवाहियों, जो ऐसे अवैध निर्माण के सम्बंध में उसके विरूद्ध संस्थित की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवैध निर्माण रहता है तथा उप–धारा (1) के अधीन भुगतान की गई शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा संगृहीत अवधारित की जाएगी मानो उसकी राशि किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध देय सम्पत्ति कर था:

परन्तु ऐसे कर के उद्गृहण तथा संग्रहण तथा शास्ति का उनकी ऐसी अवैध विद्यमानता की किसी अवधि जो भी हो के लिए ऐसे अवैध निर्माण या पुनर्निर्माण को नियमित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

87ड़.– भवन या भूमि के अवैध उपयोग पर शास्ति का उद्गृहण.– (1) जो कोई भी या तो ऐसे भवन या भूमि या उसके किसी भाग के किसी उपयोग को विनियमित या नियन्त्रित करने वाली तत्समय लागू किसी विधि की उल्लंघना में या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश, यदि कोई हो, की उल्लंघना में भवन या भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग करता है, तो वह शास्ति, जो सम्पत्ति कर की राशि, जो सम्पूर्ण वर्ष के रूप में किसी वर्ष के संगणित परिकलित भाग, वार्षिक आधार पर ऐसे अवैध उपयोग की सम्पूर्ण अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 87 की उप–धारा (1) के अधीन ऐसे भवन या भूमि या उसके भाग, जैसी भी स्थिति हो, पर उद्गृहणीय है, के दोगुना के बराबर होगी, के भुगतान के लिए दायी होगा तथा इस उप–धारा के अधीन भुगतान की गई शास्ति इस अधिनियम के उपबधों के अधीन यथा संगृहीत अवधारित की जाएगी, मानो उसकी राशि किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध देय सम्पत्ति कर था।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिरोपित या भुगतान की गई शास्ति, किन्हीं कार्यवाहियों, जो ऐसे अवैध उपयोग के सम्बंध में उपयोगकर्ता के विरूद्ध संस्थित की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसे अवैध उपयोग के विनियमन के किसी तर्क को उत्पन्न करने वाले किसी अधिकार के साथ ढ़की नहीं जाएगी तथा कोई प्रशमन जो उससे विधिपूर्ण स्वीकार किया जा सकता है, के विरूद्ध बदला नहीं जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 89 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 89 के खण्ड (क) में, ''वार्षिक मूल्य'' शब्दों के स्थान पर ''मूल्य'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 96क तथा धारा 96ख का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 96 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''96क कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना.– नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रामण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज आयुक्त द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप–विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के

सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगाः

परन्तु सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।

96ख. बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना.– कोई भी व्यक्ति, किन्हीं परिसरों के लिए बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन करने से पूर्व, सम्बद्ध नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा कोई भी प्राधिकारी ऐसा कनक्शन तब तक स्वीकृत/ जारी नहीं करेगा जब तक आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'स्वीकृति/जारी करना' अभिव्यक्ति में डिसकनक्शन के रेस्टोरेशन या क्षमता/लोड इत्यादि में वृद्धि शामिल होगी।''।

7. मूल अधिनियम की धारा 122 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 122 का प्रतिस्थापन।

''122. सार्वजनिक स्थानों में विज्ञापन का नियन्त्रण तथा विनियमन.– (1) आयुक्त या सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसा अन्य प्राधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन के साधनों में प्रदर्शित सभी विज्ञापनों को नियन्त्रित तथा विनियमित करेगा। वे इस प्रयोजन के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्पाटॅस तथा स्थलों को परिलक्षित करेंगे तथा इस अभ्यास के भाग के रूप में, विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए अपने परिसरों या वाहनों के सार्वजनिक दृश्य परिदृश्यों को किराए पर देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से, व्यापक प्रचार द्वारा, आवेदन आमन्त्रित कर सकते हैं। आयुक्त या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे सुसंगत कारकों, जो या तो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हैं या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले विधि न्यायालय के किसी आदेश के अनुसार निर्देशित या सरकार की किसी पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं, पर विचार करने के बाद स्पॉटस, स्थलों तथा वाहनों की पहचान को अन्तिम रूप देते हुए उसके द्वारा किए गए सभी आवेदनों का विनिश्चय करेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन परिलक्षित स्पॉट, स्थल या वाहन पर विज्ञापन लगाने का इच्छुक कोई व्यक्ति, आयुक्त या अनुमति के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में आवेदन करेगा जो युक्तियुक्त समय के भीतर सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए उसका निपटान करेगा तथा ऐसा करते समय ऐसे अन्य निबंधन तथा शर्तें अधिरोपित कर सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुकूल हों। किसी भी परिस्थिति में, उप–धारा (1) के अधीन परिलक्षित से भिन्न किसी स्पॉट, स्थल या वाहन पर कोई विज्ञापन लगाने हेतु कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त या सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप–धारा (2) के अधीन कोई विज्ञापन लगाने हेतु ऐसी कोई अनुमति देने से पूर्व, परिलक्षित परिसरों के स्वामी/अधिभोगी या परिलक्षित वाहन (नगर निगम से सम्बन्धित भवन, भूमि या वाहन से भिन्न) जहां विज्ञापन लगाया जाना है के स्वामी/उपयोगकर्ता के साथ रेंट शेयरिंग व्यवस्था करेगा; तथा अनुमति देते समय, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित दरों पर आवेदक विज्ञापनदाता से अनुमति फीस प्रभारित करेगा तथा राज्य के भिन्न–भिन्न निगमों या क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

(4) सरकार, स्थलों, स्पॉट तथा वाहनों की पहचान विज्ञापन लगाने हेतु अनुमति देने के लिए किए गये आवेदनों की प्रक्रिया, रेंट शेयरिंग व्यवस्था और अन्य सम्बंधित मामलों, जो वह उचित समझे, के लिए मार्गदर्शन/पॉलिसी अधिकथित कर सकती है।

(5) कोई भी विज्ञापन, आयुक्त या सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभा या संरचना या किसी वाहन पर खड़ा नहीं किया जाएगा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लगाया नहीं जाएगा या रखा नहीं जाएगा या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान में किसी भी रीति जो भी हो, में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्राय है, कोई स्थान, जो साधारणतः जनता के लिए खुला तथा की पहुंच में हो, तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) सड़क, फलाईओवर, खंड़जा, पटरी, गली सार्वजनिक चौक, पार्क, बाग, जल निकाय, झील, नदी किनारा, सड़कों के साथ–साथ हरित पट्टी;

(ii) सरकारी भवन जो जनता के लिए खुले हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, संस्मारक, चिड़िया घर, मछलीघर, खुला थियेटर, खेल मैदान, स्टेडियम;

(iii) रेलवे स्टेशन, मैट्रो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, टैक्सी अड्डा, रिक्शा अड्डा, बस क्यू शैल्टर, गली फर्नीचर, पार्किंग स्थान;

(iv) सभी अन्य भूमियां, भवन तथा संरचनाएं चाहे सरकारी हाथों में या निजी हो, जो पटरी, सार्वजनिक आम रास्ते से दृश्य हैं और अन्य सार्वजनिक स्थान जहां तक वे सार्वजनिक दृश्य परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 132 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 132 में, ''वार्षिक मूल्य'' शब्दों के स्थान पर, ''मूल्य'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संशोधन।

9. (1) मूल अधिनियम की धारा 164 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(क) आयुक्त,–

(i) निगम से संबंधित किसी चल सम्पत्ति, जिसका मूल्यह्रास मूल्य पांच लाख रूपये से अधिक न हो, का विक्रय द्वारा या अन्यथा निपटान कर सकता है; या

(ii) निगम से संबंधित किसी अचल सम्पत्ति को दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है; या

(iii) निगम से संबंधित किसी अचल सम्पत्ति, जिसका चालू कलक्टर दर मूल्य पांच लाख रूपये से अधिक न हो, या जिसका वार्षिक बाजार किराया पचास हजार रूपये से अधिक न हो, को बेच सकता है या स्थायी पट्टे पर दे सकता है;'';

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूर्वोक्त खण्डों के अधीन प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती है, जिस पर ऐसी अचल सम्पत्ति, सामान्य तथा उचित प्रतियोगिता में ऐसी अचल सम्पत्ति बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती थी, से कम नहीं होगाः

परन्तु सरकारी विभाग को अचल सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने या अन्यथा के रूप में अन्तरण की दशा में, सम्पत्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन कलक्टर दर पर अन्तरित की जा सकती हैः

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को दुकान या गृह का अन्तरण करने की दशा में, जिसके पास किराए या पट्टे या अन्यथा के रूप में पिछले बीस वर्ष या अधिक के लिए ऐसी सम्पत्ति का कब्जा है, ऐसे प्राधिकारी, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, सम्पत्ति विक्रय के रूप में कलक्टर दर या किसी अन्य रियायती दर, जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए, पर अन्तरित की जा सकती हैः

परन्तु यह और कि दुकान या गृह जो पिछले बीस वर्ष या से अधिक के लिए पट्टे या किराये पर या अनुज्ञति फीस या तहबजारी या अन्यथा पर हैं, के संबंध में स्वामित्व अधिकार, सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस निमित्त बनाई गई पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट दर जिस पर ऐसे स्वामित्व अधिकार अन्तरित किए जाएंगे सहित ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर विक्रय के माध्यम से अन्तरित किए जा सकते हैं ।'';

(iii) खण्ड (गक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(गख) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, आयुक्त निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन निगम से संबंधित किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचेगा, पट्टे पर देगा या किराए पर देगा या अन्यथा अन्तरित करेगा, अर्थात्:—

(i) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिफल के लिए सरकार के निर्देश पर निगम की कोई चल या अचल सम्पत्ति को बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा अन्तरित करना;

(ii) जब सरकार द्वारा बनाई गई कोई पॉलिसी उसके किसी भाग के रूप में, निगम की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा अंतरण करने के लिए उपरोक्त पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिफल के लिए अपेक्षित है:

परन्तु खण्ड (ii) के अधीन आयुक्त के निर्णय लेने से पूर्व सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।";

10. मूल अधिनियम की धारा 350 घ में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 350 घ का संशोधन।

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2014 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा नगरपालिका सीमाओं के भीतर क्षेत्रों को यथा लागू इसके अधीन बनाए नियमों के अधीन निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, हरियाणा द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां तथा कृत्य निदेशक द्वारा किए जाएंगे। उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की शक्तियां नगरपालिका सीमाओं के भीतर, इस अधिनियम के अधीन प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय, विभाग द्वारा प्रयोग की जाएंगी:

परन्तु यह और कि जहां इस अधिनियम के उपबंध नियन्त्रित क्षेत्र के उपबंध के सम्बंध में मौन हैं, तब पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियनत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के उपबंध नगरपालिका सीमा के भीतर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू हुए समझे जाएंगे।''।

11. मूल अधिनियम की धारा 385 के खण्ड (ख) में, ''वार्षिक मूल्य'' शब्दों के स्थान पर, ''मूल्य'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 385 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 419 में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 419 का संशोधन।

(i) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा तथा 31 मई, 1994 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा उनके पदनाम के निर्धारण पर, अधिकारी तथा कर्मचारी अपने पदनाम, कार्य स्वरूप तथा कर्तव्य के अनुकूल निगम सेवा के ऐसे प्रवर्गों के भाग गठित करेंगे तथा उनकी सेवाएं ऐसी अधिसूचना की तिथि से निगम सेवाओं के सभी या किन्हीं प्रवर्गों को गठित करते हुए, इस अधिनियम की धारा 67 की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सम्बंधित सेवा के प्रवर्ग को विनियमित करने वाले उपबंधों द्वारा शासित होंगी तथा यदि पदनाम, कार्य स्वरूप तथा कर्तव्य, जो किसी व्यक्ति या अधिकारी/कर्मचारी के प्रवर्ग या प्रवर्गों की सेवाओं के अनुकूल हैं, के सम्बंध में, कोई संदेह उत्पन्न होता है या दावा किया जाता है, तो मामला सरकार को भेजा जाएगा, इस सम्बंध में उनका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 422 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 422 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 31 मई, 1994 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

''(1) धारा 67 के उपबंधों के अध्यधीन, जब ग्रामीण क्षेत्र या उसके किसी भाग, यदि कोई हो, के समाविष्ट क्षेत्र सहित किसी नगरपालिका को इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन किसी निगम के रूप में घोषित तथा गठित किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र या उसके किसी भाग, यदि कोई हो, के समाविष्ट क्षेत्र सहित किसी नगरपालिका में सेवारत सम्पूर्ण अधिकारी तथा कर्मचारी, पद जिसके सम्बंध में निगम गठित किया गया है, निगम की घोषणा तथा गठन पर, विद्यमान सेवा अवधि पर निगम में अन्तरित किए गए समझे जाएंगे तथा निगम सेवाओं में एकीकृत होंगे।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. बहुत से कारणों, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, के दृष्टिगत हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) में हरियाणा नगर निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा संशोधन आवश्यक है।

2. जब हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 लागू किया गया था, तब फरीदाबाद नगर निगम ही एकमात्र नगर निगम था तथा ''फरीदाबाद संव्यूह प्रशासन के कर्मचारी'' शब्द को शामिल किया गया था और उन्हें ''फरीदाबाद निगम'' का कर्मचारी बनाया गया था। अब हरियाणा राज्य में नगर निगमों की सख्या ग्यारह हो गई है तथा सभी नगर निगमों का एक एकीकृत कैडर (समेकित संवर्ग) बनाने के लिये एक आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि समय पर इस तरह के प्रावधानों की अनुपस्थिति में मानवशक्ति संसाधनों के बेहतर वितरण में समस्या पैदा करती है। इसलिए, नगर निगमों के सभी कर्मचारियों के कैडर, जो अस्तित्व में है और जिन्हें भविष्य मे बनाया जाना है, को एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह उद्देश्य हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 67, 419 तथा 422 में संसोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो 31 मई, 1994 के 31 वें दिन से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगें।

3. भारत सरकार ने नीति आयोग की सिफारिश पर सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्पति की कीमत पर करते हुये सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण तथा एकत्र करने का सुझाव दिया है। अब तक हरियाणा में ऐसी प्रथा प्रचलन में नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सरकार द्वारा नियत दरें फलोर दर होनी चाहिए तथा निगम को फलोर दरों से उच्चतर दरों पर सम्पत्ति कर उद्ग्रहण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वर्तमान हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं में सम्पति कर के निर्धारण तथा सग्रंहण बारे यह वर्णित नहीं करती कि इसे पूंजीगत मूल्य या सम्बन्धित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित तथा एकत्र किया जाना है। इसलिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 में संशोधन करके इस आशय के लिए समर्थ उपबन्ध करने के माध्यम से मापदण्ड आरम्भ करने की आवश्यकता है।

4. कुछ भवन ऐसे हैं जिन का उपयोग, स्थान जहां वे स्थित है, में अनुज्ञेय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ऐसे भवनों पर सम्पत्ति कर ''वास्तविक उपयोग'' के आधार पर उद्गृहित किया जाना अपेक्षित है, न कि भवन के ''अनुज्ञेय उपयोग'' पर, चूंकि इसका वास्तविक उपयोग नागरिक सेवाओं पर दबाव डालता है। यघपि सम्पत्ति कर, कर के स्वरूप का है जिसका मुहैया की जानी वाली सेवाओं से कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी अभी तक वास्तव में इस कर का उपयोग नागरिक सेवायें मुहैया कराने के लिए भरपूर रूप से नगर पालिका निकायों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैरकानूनी उपयोग की ऐसी किस्म की प्रथा को हतोत्साह करने की भी आवश्यकता है, जोकि कथित सेवाओं पर अत्याधिक दबाव डालती है जो वास्तव में सेवाओं के उच्च रूप से कम करने के परिणामिक है, जोकि कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए असुविधाजनक भी है। तदानुसार, कर विविक्षा के उद्ग्रहण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तथा बढी हुई दरों पर कर उद्गृहीत करके दाण्डिक उपबन्धों की व्यवस्था करने के लिए दोनों कानूनी उपबन्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए, उपरोक्त उदेदयों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में धारा 87घ तथा 87ड. रखी जानी है।

5. अधिनियम के कुछ स्थानों पर कर निर्धारण ''वार्षिक मूल्य'' से सम्बन्धित किया जाता था। अब परिवर्तित परिस्थितियों में इसे ''वास्तविक मूल्य'' के बराबर लाया जाना है। उपरोक्त पहलू को प्राप्त करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उप–धारा (1) के खण्ड (क), धारा 132 तथा धारा 385 की उप धारा (ख) में संशोधन किया जाना है।

6. सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए तथा बेहतर रूप से विनियमित करने के लिए, राजस्व विभाग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रावधान किये गये हैं। अन्य आवश्यकताओं से अलग, अब अनापत्ति प्रमाण–पत्र नगर पालिका निकायों से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उपबन्ध वर्तमान कानून में विद्यमान नहीं है। तदानुसार, इस आशय के लिये समर्थ उपबन्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–96क तथा 96ख रख कर किये जाने अपेक्षित हैं।

7. साधारण विक्रय कर अधिनियम के प्रारम्भ से, विज्ञापन कर, माल तथा सेवा कर में शामिल कर दिया गया था। तथापि, सार्वजनिक दृष्टि से विज्ञापन प्रदर्शित करने को विनियमित करने व ऐसे विज्ञापनों को नियन्त्रित तथा विनियमित करने हेतु नगर पालिका निकायो ं के लिये उपबन्ध किये जाने अपेक्षित हैं (कई बार ऐसे अव्यवस्थित विज्ञापन यातायात के संचालन को भी बाधित करते हैं)। तदानुसार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 122 में संसोधन किया जाना अपेक्षित है।

8. नगर निगमों की सम्पत्तियों के निपटान के लिये अभी तक सार्वजनिक आवश्यकताओं की अपेक्षा तथा सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की अपेक्षा को पूरा करने के लिये प्रतियोगी दरों से भिन्न दरों पर निपटान करने के लिये अपर्याप्त उपबन्ध हैं। सम्पति के निपटान के उपबन्धों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–164 में संशोधन करके, पूर्ण रूप से पुनः बनाये जाने हैं।

9. निदेशक तथा आयुक्त एंव सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा प्रयुक्त शक्तियाँ दिनांक 01.04.2014 को निदेशक तथा प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अन्तरित की गई थी। तदानुसार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–350घ में संशोधन किया गया था तथा अधिनियम की वैधता दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की गई थी, किन्तु गलती से निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग तथा आयुक्त एंव सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की शक्तियाँ निदेशक तथा प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में विशेष रूप से निहित नहीं की गई थी। निदेशक तथा प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में इन शक्तियों को विशेष रूप से निहित करने की आवश्यकता है। तदानुसार, दिनांक 01.04.2014 से भूतलक्षी प्रभाव से, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–350घ में संशोधन किया जाना है।

इसलिये, विधेयक है।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 3 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9095—H.V.S.—H.G.P., Pkl.